न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम आर.ए.एस

प्रकरण नं0 400/2017

प्रार्थी :-

1. घेवरचन्द पुत्र सकाराम जाति भील निवासी पचपदरा, तह0 पचपदरा जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. भोलाराम पुत्र धन्नाराम
2. रूकमों देवी पत्नि भोलाराम
3. राजुराम पुत्र भोलाराम
4. मुकेश पुत्र भोलाराम
5. जैसाराम पुत्र भोलाराम जाति भील निवासीयान मण्डापुरा हाल भाण्डियावास
6. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :- 1. श्री, अचलाराम थोरी, प्रार्थीगण वकील
2.श्री मुनीर अली , विप्रार्थीण वकील

दिनांक 22.3.2018

आदेश

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि सरहद मौजा भाण्डियावास तहसल पचपदरा की राजस्व सीमा में कृषि भूमी ख0 स0 1479/187 क्षेत्रफल 12 बीघा 12 विस्वा किस्म आ0 अ0 अवस्थित है। वाग्रस्त भूमि का मूल खसरा संख्या 187 रहा है, तदोपरान्त उक्त भूमि के मल खसरा का विभाजन विधिक प्रकिया के तहत किया गया। जो कृषि भूमि प्रार्थी की कब्जा काश्त खातेदारी की रही है, जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त बिना किसी रोक-टोक के कायम रहा व है एवं प्रार्थी द्वारा ही रह वर्ष बरसात के समय खेत सरोकार नहीं है, किन्तु विप्रार्थीगण अतिचार के माध्यम से कब्जा करना चाहते है जिसका विप्रार्थीगण को कोई अधिकारी नहीं है। ।प्रार्थी का अपने विधिक अधिकारों की सुरक्षार्थ विप्रार्थीगण सं. 1 ता 6 के उक्त कृत्य को करने से रोकने हेतु न्यायालय मे अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

प्रार्थना पत्र मे यह भी निवेदन है कि प्रार्थी के पक्ष मे एवं विप्रार्थीगण के विरूद्व दोराने दावा इस आश्य की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विप्रार्थीगण स्वयं उनके ऐजेन्ट, मजदूर ठेकेदार इत्यादि वादग्रस्त कृषि भूमि सरहद मौजा भांडियावास के खसरा न0 1479/187 क्षेत्रफल 12 बीघा 12 विस्वा किस्म प्रार्थी के कब्जा काश्त मे किसी तरह का मन गठन कानून

..... 2

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

मन गठन कानून हाथ में लेकर, अवैध एवं अनाधिकृति तरीके से अतिचार एवं कोई दखल /हस्तक्षेप स्वय प्रार्थी के विधि पूर्ण कब्जा काश्त खातेदारी की वादग्रस्त कृषि भूमि मे अवैध अचिार कर देते है तो प्रार्थी को अपार अपरिमित क्षति होगी। जिसका मूल्यांकन मुद्रा मे करना सम्भव नहीं होगा। यदि दौराने दावा विप्रार्थीगण को अवैध एवं अनाधिकृत दखल/हस्तेक्षप करने से निषेधित एवं निवारित किया जा तो विप्रार्थीगण को कोई हानि नहीं होगी। इस प्रकार सुविधा का संतुलन एवं साम्या का पवित्र सिद्वान्त काबिज खातेदार टीनेन्ट प्रार्थी के हक/ पक्ष मे ही विद्यमान है।

उक्त आश्य का प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया जिस पर विप्रार्थी सं. 1ता 5 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित जबाब दिनांक 22.2.2018 को पेश किया गया ।

हमने दोनो पक्षो के वकीलो की बहस को सुना व मनन किया पत्रावली के संलग्न दस्तावेजा जमाबदी संवत 2070–2073 का अवलोकन किया गया । दोनो पक्षो के अधिवक्ता ने दोराने बहस को सुना गया ।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। अतः विप्रार्थीगण सरहद मौजा भाडिण्यावास के खेत खसरा न0 1479/187 क्षेत्रफल 12 बीघा 12 विस्वा में अवस्थित मे प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार का कोई दखल/हस्तक्षेप नहीं करे और न ही वादग्रस्त भूमि मे प्रवेश करन की चेष्टा न तो स्वंय कर न अन्य से करावे तथा मूल वाद के निस्तारण तक मौके की वस्तुस्थिति मे परिवर्तन नहीं करने का आदेश दिया जाता है । खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे ।

आदेश खुले न्यायालय सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(भागीरथ राम)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner